

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक: फा. 94(8)सदिरा/नियम/आर.सी.डी.एफ./77 पार्ट-3

दिनांक 14/10/2014

आदेश

(राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 10(1) के अन्तर्गत)

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर की साधारण सभा दिनांक 15.1.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 22(8) के द्वारा संस्था के उपनियम संख्या 4.8 में संशोधन के प्रस्ताव अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय को पठाये गये हैं। अतः संस्था की साधारण सभा के उक्त निर्णय के अनुरूप मैं अनुराग भारद्वाज, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर मुझमें निहित राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 10(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उपनियम संख्या 4.8 में निम्नानुसार संशोधन पंजीकृत करता हूँ:-

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4.8	<p>The Federation may accept funds from any development agency or any financial institution accepting loan etc., as per the terms and conditions prescribed by such institution as may be mutually agreed upon.</p> <p>The authorised share capital of the Federation shall be Rs.10 Crores divided into 1,00,000 shares of Rs.1,000 each and shall be paid in full on allotment.</p> <p>The funds of the kind specified in 4.2, 4.3 and 4.4 above to be raised shall not exceed ten times of the total of paid up share capital and reserve fund, less, accumulated losses as provided in the Act and Rules thereunder.</p>	<p>The Federation may accept funds from any development agency or any financial institution accepting loan etc., as per the terms and conditions prescribed by such institution as may be mutually agreed upon.</p> <p>The authorised share capital of the Federation shall be Rs.100 Crores divided into 10,00,000 shares of Rs.1,000 each and shall be paid in full on allotment.</p> <p>The funds of the kind specified in 4.2, 4.3 and 4.4 above to be raised shall not exceed ten times of the total of paid up share capital and reserve fund, less, accumulated losses as provided in the Act and Rules thereunder.</p>

यह आदेश आज दिनांक 10/10/2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।


(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

क्रमांक: फा. 94(8)सदिरा/नियम/आर.सी.डी.एफ./77 पार्ट-3

दिनांक 14/10/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
3. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. प्रथम अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. गार्ड फत्रावली।

५।
उप पंजीयक (नियम)